COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(33)

निगरानी प्र.क. : 2011

<u>श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर</u>

शेख जोयब अली पिता शेख ताहेर अली R-928-II/2011
निवासी–208–209, सैफी नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रार्थीगण

विरूद्ध

नरेन्द्रसिंह पिता संतसिंह सलुजा, मृतक तर्फे वारिस

1. श्रीमती जसबीर कौर
2. हरदीपसिंह पिता नरेन्द्रसिंह
3. कल्याणसिंह पिता संतसिंह सलूजा
4. अवतारसिंह पिता संतसिंह सलूजा
   चारों निवासी–45, प्रताप नगर, इन्दौर
5. श्रीमती यासमिन पति जाकिर हंसी
6. श्रीमती आबेदानी पति अब्दुल कयुम
7. मोईज अली पिता तय्यब अली
8. रेवा शंकर पाण्डे
9. मुन्स्या पिता सुरमान
10. लच्छु
11. श्रीराम पिता गंगाराम (बाबा रामदेव हेयर सेलुन)
12. नारायण पिता केशर
13. धनश्याम पिता रणछोड
14. श्रीमती जमनाबाई पति मदनलाल
    क्र. 5 से 14 निवासी–ग्राम सिहांसा, धार रोड,
    तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

........प्रतिप्रार्थीगण

17/6/11

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु–राजस्व संहिता 1959</u>

श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, तहसील इन्दौर के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 6/अ–70/2009–10 में अवैध प्रकिया के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत हैं :–

D. Chaturvedi 17/6/11

<u>।। प्रकरण के तथ्य ।।</u>

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सिहांसा तहसील व जिला इन्दौर में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की परिवर्तित भूमि सर्वे कमांक 250/1/1/3 तथा सर्वे कमांक 250/1/1/4 कमशः क्षेत्रफल 0.109 हेक्टर तथा 0.016 हेक्टर स्थित है। उक्त भूमि पर विगत 8 वर्षो से भी अधिक समय से

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 928-II/11 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अत: संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, इंदौर को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 30.05.2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों। उभय पक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	